न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7060–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–3–2016 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, हरदा प्रकरण कमांक 21/सी–132/14–15.

1– श्रीमती रंजना पाठक पत्नी स्व. विनोद पाठक
निवासी ग्राम पीपल्या
तहसील महेश्वर जिला खरगोन
2– राजेश पाण्डे
निवासी 53, वी.वी. गिरी वार्ड हरदा .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री राजेश गिरी, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/11/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, हरदा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रूपये 65,300/– के कय किये गये नान ज्युडिशियल स्टाम्प का उपयोग नहीं होने से राशि वापिस करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 21/सी–132/14–15 दर्ज कर दिनांक 7–3–2016 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 49 सहपठित धारा 50 के प्रावधानों पर बिना विचार किये आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिनियम की धारा 49 (घ) के अंतर्गत आवेदकगण का आवेदन पत्र प्रस्तुत होना मानकर निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, क्योंकि आवेदकगण का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 49 (घ) के अंतर्गत नहीं था । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा स्टाम्प क्रय किये जाकर विक्रय पत्र पंजीकृत कराना था, परन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से विक्रय पत्र पंजीकृत नहीं हो सका है । उनके निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

6/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष आवेदकगण द्वारा अवधि बाह्य आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि अधिनियम की धारा 50 (1) के अंतर्गत लिखत की तारीख से दो माह के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, परन्तु आवेदक की ओर से लगभग चार माह विलम्ब से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा आवेदन पत्र को अवधि बाह्य मान्य करते हुए निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–3–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर